सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बा

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 15/2015

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री चेतन मित्तल पुत्र श्री शरद कुमार मित्तल निवासी खानपुर रोड कवाई तह. अटरू जिला बारां। मेसर्स एस के एण्ड सन्स, मेन मार्केट खानपुर रोड कवाई तह. अटरू जिला बारां
2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण, निवासी 1/81, स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा (प्रोपराईटर) मेसर्स सेन्ट्रल इण्डिया एसोसियेट/कोटा कंच नमकीन, एफ–152 आई.पी.आई.ए. रोड नं.–5, कोटा राज

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री घनश्याम अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थी कम 2 की ओर से)

निर्णय दिनांक 23.02.2018

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2015 को समय 1.40 पी. एम. पर मेसर्स एस के एण्ड सन्स, मेन मार्केट खानपुर रोड़ कवाई तह. अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री चेतन मित्तल पुत्र श्री शरद कुमार मित्तल विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** 500 ग्राम के 20 पैकेट रेक में रखे थे। विक्रेता को परिचय देकर खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। फार्म नं. 5 ए आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** 500 ग्राम के 4 पेकेट 02 कि.ग्रा. वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 200/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** 02 कि.ग्रा. को चार खाली साफ एवं सूची डिब्बे में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा डी.ओ. के लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना के डिब्बों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर उन्होने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री अनिल कुमार शर्मा एल.टी. (लेप्रोसी यूनिट बारां) द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/96 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एफएसएसएल/कोटा/2015/289 दिनांक 13.03.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, नमकीन **(कोटा कंच) मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी क्रम 2 ने 30 सितम्बर 2014 को वाणिज्यिक कर विभाग से लिखित में अपना पंजीयन समाप्त करवा लिया था इसके बाद अप्रार्थी उत्तरदाता ने उक्त फर्म में कोई काम/कारोबार नहीं किया। अप्रार्थी क्रम 2 ने राजेश अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्दलाल अग्रवाल निवासी जी–1/10 इलेक्ट्रोनिक कॉप्लेक्स रोड नं. 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा से परिसर किराये पर ले रखा था जो एफ–152 आई पी आई ए रोड नं. 5 कोटा पर स्थित था। यह परिसर अप्रार्थी उत्तरदाता ने 10 हजार प्रतिमाह से लिया हुआ था जो सितम्बर 2014 में ही खाली कर दिया था। इस परिसर के मालिक ने परिसर में स्वंय का व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया ओर वही उक्त माल बनाकर बेचने लग गया इसके लिये अप्रार्थी उत्तरदायी नहीं है। परिसर स्वामी की फर्म का दुरूपयोग करने लग गया। दिनांक 02.03.2015 को जो माल भरा है उससे अप्रार्थी उत्तरदाता का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अप्रार्थी ने फर्म का पंजीयन ही नियमानुसार समाप्त करवा लिया था। अतः अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें। अप्रार्थी क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 2 ने 30 सितम्बर 2014 को वाणिज्यिक का विभाग से लिखित में अपना पंजीयन समाप्त करवा लिया था इसके बाद अप्रार्थी उत्तरदाता ने उक्त फर्म में कोई काम/कारोबार नहीं किया। दिनांक 02.03.2015 को जो माल भरा है उससे अप्रार्थी उत्तरदाता का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अप्रार्थी ने फर्म का पंजीयन ही नियमानुसार समाप्त करवा लिया था। अतः अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ नमकीन **(कोटा कंच)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)